HAPUR POLICE

OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए जानलेवा हमला करने के मामले एक आरोपी को 04 वर्ष का कारावास व 6,000/-रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 28.07.2026 को मा0 न्यायालय द्वारा जानलेवा हमला करने के मामले मे एक आरोपी को दण्डित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 24.01.2011 को अभियुक्त सोनू सैनी पुत्र गिरवर निवासी मौहल्ला आर्य नगर कस्बा व थाना पिलखुवा जनपद हापुड़ द्वारा वादी को जान से मारने की नियत से फायर करने की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना पिलखुवा पर मु0अ0सं0 045/2011 धारा 307, 504 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 12.06.2011 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- आज दिनांक 28.07.2026 को अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय एडीजे द्वितीय हापुड़ द्वारा 04 वर्ष का कारावास व 6,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्री विजय कुमार चौहान (शासकीय अधिवक्ता) व पैरोकार म0का0 शलिनी चौधरी व कोर्ट मोहर्रिर है0का0 इरशाद का विशेष योगदान रहा।